# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :—754 / 2024

इन्द्रराज मीणा

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. अति.आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, सचिवालय, जयपुर।
3. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 12.03.2024

उपस्थित —

**अपीलार्थी की ओर से** : श्री मुकेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता

**प्रत्यर्थी विभाग की ओर से** : श्री राजेश निगम, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

## आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक अभियंता के पद पर पंचायत समिति, दौसा, जिला दौसा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक—1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायत समिति, पहाडी, जिला भरतपुर में किया गया है। अपीलार्थी का मुख्य रूप से कथन है कि अपीलार्थी के माता—पिता की आयु 70 से अधिक है और दोनों को उक्त रक्तचाप की बीमारी है। जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी अपीलार्थी पर है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं है, क्योंकि जिस स्थान पर अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, वहां पर उचित परिवहन व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थी की पत्नी भी बीमार है और उसकी रीड़ की हड्डी में डिसलोकेशन हुआ है, जो कि ईलाजरत है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं है।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि प्रशासनिक व जनहित कारणों से पंचायत राज अधिनियम, 1994 एवं

पंचायत राज नियम, 1996 के नियम 289 के अनुसार व आरएसआर के नियम 20 के अन्तर्गत प्रशासन को चुस्त दुरूस्त करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा पदस्थापित किया गया है, एक लोक सेवक के पदस्थापन/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में निर्णय का क्षेत्राधिकार नियोक्ता को है कि वह अपने लोक सेवक को कब और कहां स्थानान्तरित करता है।

4. हमने दोनों पक्षों के विद्वान् अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

5. अपीलार्थी वर्ष 2020 से दौसा जिले में कार्यरत है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण उसे उचित समय तक वर्तमान पद पर पदस्थापित रखे जाने के पश्चात किया गया है, जिसमें कोई दुर्भावना प्रकट नहीं होती है। जहां तक अपीलार्थी की पारिवारिक समस्याओं का प्रश्न है तो वह इस सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग को अपना अभ्यावेदन देने के लिये सदैव स्वतंत्र है। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer Order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer Orders are made in violation of any mandatory statutory Rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer Orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights. Even if a transfer Order is passed in violation of executive instructions or Orders, the Courts ordinarily should not interfere with the Order instead affected party should approach the higher authorities in the Department. If the Courts continue to interfere with day-to-day transfer Orders issued by the Government and its subordinate authorities, there will be complete chaos in the Administration which would not be conducive to public interest."*

6. अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस.कौरव** ((1995) 3 एस.सी.सी. 270) के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

*"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such ha rdship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."*

अतः हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

7. उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)